

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :-

संचिका संख्या-6 / वि०पत्रा०-24-77 / 2025

पटना, दिनांक:-

श्रीमती रश्मि रंजीता, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), पाटलीपुत्र अंचल, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 07.04.2026 से 21.04.2026 तक 15 दिनों दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती रंजीता के अवकाश लेखा में (213-15=198) एक सौ अठानवे दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० / -

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 / वि०पत्रा-24-77 / 2025 1194

पटना, दिनांक:- 08/04/26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना / राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना / राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), पाटलीपुत्र अंचल, पटना / राज्य-कर संयुक्त आयुक्त- सह- नोडल पदाधिकारी, एच० आर० एम० एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / राज्य-कर उपायुक्त -सह- एच०आर मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / आई० टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती रश्मि रंजीता, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), पाटलीपुत्र अंचल, पटना को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित कि प्रभार त्याग एवं प्रभार ग्रहण प्रस्तुत करेंगे।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।